<u>प्रवेश प्रक्रिया</u>

(Admission Process)

प्रवेशार्थियों को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित निम्नलिखित नियमों का अनुपालन करना होगा

1- प्रवेश हेतु छात्र/छात्रा को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।

2- प्रवेशार्थी को प्रवेश उसकी योग्यता के साथ-साथ प्रवेश समिति के निर्णय के आधार पर किया जायेगा।

3- **प्रवेश के समय प्रवेश समिति के समक्ष निम्न प्रपत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है-**

- ✓ हाईस्कूल का अंकपत्र व प्रमाण-पत्र
- ✓ इण्टरमीडिएट का अंकपत्र व प्रमाण-पत्र
- ✓ स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त)
- ✓ चरित्र प्रमाण-पत्र (अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त)
- ✓ जाति प्रमाण-पत्र
- ✓ भारांक सम्बन्धी प्रमाण-पत्र
- ✓ विकलांग प्रमाण-पत्र
- ✓ पासपोर्ट साइज फोटो की 6 प्रति
- ✓ एण्टी रैगिंग का शपथ-पत्र छात्र@छात्रा एवं अभिभावक दोनों को 10-10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर अलग-अलग नोटरी द्वारा सत्यापित देना होगा।

नोट- स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी0सी0), चरित्र प्रमाण-पत्र, एण्टी रैगिंग का शपथ-पत्र मूल रूप में प्रवेश फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

4- बी0ए0 कक्षाओं में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट में 45% अंक होना अनिवार्य है।

नोट- विश्वविद्यालय के नियमानुसार अनु0जाति@नु0जनजाति के छात्र@छात्राओं को 5% तथा जिन छात्र/छात्राओं ने राज्य स्तरीय/राष्ट्र स्तरीय खेलकूद स्पर्धा में सहभागिता प्रदान की है उन्हें 2% की छूट महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रदान की जायेगी (मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर)।

5- बी0एससी0 में इण्टरमीडिएट कृषि के छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

6- विषयों का चयन सोच समझकर किया जाये अन्यथा विषय परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।

7- प्रवेश हो जाने के बाद विषय/संकाय परिवर्तन होगा और न ही शुल्क वापस की होगा।

8- कोई भी अभ्यर्थी एक वर्ष में दो परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो सकता। इसी प्रकार कोई भी छात्र एक वर्ष में दो कालेजों में प्रवेश नहीं ले सकता। संस्थागत छात्र अन्य फार्म व्यक्तिगत रूप में नहीं भर सकता। ऐसा मामला प्रकाश में आने पर सम्बन्धित छात्र की परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी तथा भविष्य में महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।

9- प्रवेशोपरान्त यदि कोई छात्र/छात्रा को अनुशासन हीनता व अपराधिक मामले में संलिप्त पाया जाता है तो उसे महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।

10- विवाह होने की दशा में महिला अभ्यर्थी के नाम में परिवर्तन हुआ तो उसे 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के द्वारा सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

11- प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धी महाविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।